न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 176/II/2005 – विरूद्ध आदेश दिनांक 28.01.2005 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 04/2003–04 अपील

1– भगवान प्रसाद (मृतक) पुत्र बड़े प्रसाद
वरिसान
(अ) राम सागर पुत्र स्व.भगवान सिंह
(ब) रामकिशोर पुत्र स्व. भगवान सिंह
2– राम सागर पुत्र स्व. भगवान सिंह
जाति ब्राहमण निवासीगण ग्राम पुलावली
तहसील व जिला भिण्ड म0प्र0 –––––आवेदकगण

विरूद्ध

1– हरीराम पुत्र गंगा प्रसाद राठौर
2– रघुवीर पुत्र तुलसी राम राठौर
दोनों निवासीगण ग्राम पुलावली
तहसील व जिला भिण्ड म0प्र0 –––––अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)
(अनावेदकगण की ओर अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 3–9–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/2003–04 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.01.2005 विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने बंदोवस्त अधिकारी, भिण्ड के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 2.9.97 प्रस्तुत कर

मांग की कि मौजा गुर्सींग स्थित पूर्व के भूमि सर्वे क्रमांक 376, 377, 378, 380, 384, 386, 379 उनके स्वत्व व स्वामित्व की है इस भूमि के बंदोवस्त के वाद सर्वे क्रमांक 349, 364, 366, 367 हो गये हैं । इसी प्रकार अनावेदकगण की उनकी भूमि से लगी हुई भूमि सर्वे क्रमांक 375, 392, 393 के नवीन सर्वे नंबर 348, 350, 361 हुये है किन्तु बंदोवस्त के समय आवेदकगण की भूमि में रकबा 20 विसवा कम होकर अपलेखन के कारण अनावेदकगण की भूमि में बढ़ा दिया गया है जिसे दुरूस्त किया जावे। प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान बंदोवस्त कार्यवाही समाप्त होने के कारण दिनांक 7-7-2000 को अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड को अंतरित होकर पक्षकारों की सुनवाई हुई। अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने जांच एंव सुनवाई उपरांत प्र.क्र. 97 सी-129/1999-2000 में आदेश दिनांक 31.10.2000 पारित किया तथा निर्णय लिया कि ** **पुराने नक्शे के आधार पर पैमायश करने पर स्थल व नक्शा सही आता है यदि नया नक्शा पुराने नक्शे के अनुसार दुरूस्त कर दिया जावे तो स्थल एंव अभिलेख एंव नक्शा समान हो जावेगा। नक्शे में प्रस्ताव अनुसार सुधार सर्वे नंबर 348, 349 के बीच मेढ़ दुरूस्त की जावेगी तथा अभिलेख में सर्वे नंबर 348 का रकबा 0.80 है. तथा 349 का रकबा 1.02 है. दर्ज कागजात किया जावे---इससे सर्वे नंबर 348 की मेढ़ सही हो जावेगी।** आवेदकगण की भूमि से कम हुये 20 विसवा रकबे की पूर्ति करने के आदेश दिये। इस आदेश से दुखी होकर अनावेदकगण ने प्रथम अपील कलेक्टर जिला भिण्ड के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 5/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 10.12.2001 से अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः कार्यवाही हेतु वापिस किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपरआयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर

प्रकरण क्रमांक 32/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27.4.2002 से निगरानी निरस्त की गई।

प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के न्यायालय में वापिस होने पर पुनः कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा स्थल की पुर्नजांच राजस्व निरीक्षक वृत्त उमरी से कराई एंव हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई उपरांत प्रकरण क्रमांक 97 सी-129/ 1999-2000 में आदेश दिनांक 22.2.2003 पारित किया । अनुवभिागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर भिण्ड के समक्ष अपील क्रमांक 12/2002-03 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 16.9.2003 से अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड का आदेश दिनांक 22.2.2003 निरस्त किया गया तथा कुछ निर्देशों के साथ प्रकरण पुनः कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड को प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण क्रमांक 04/2003-04 अपील में पारित आदेश दि. 28.01.2005 से अपील अस्वीकार की गईं । इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर यह तथ्य निर्विवाद है कि मौजा गुर्सींग स्थित बंदोवस्त पूर्व के भूमि सर्वे क्रमांक 376, 377, 378, 380, 384, 386, 379 बंदोवस्त के वाद बने नवीन सर्वे क्रमांक 349, 364, 366, 367 आवेदकगण के स्वत्व एंव स्वामित्व के हैं एंव इसी भूमि से लगी हुई अनावेदकगण की भूमि सर्वे क्रमांक 375, 392, 393 के बंदोवस्त के वाद नवीन सर्वे नंबर 348, 350, 361 है जिसका

रकबा बंदोवस्त के समय तैयार नक्शे में खसरे के अनुपात में कम हुआ है जो अपलेखन अथवा बंदोवस्त पैमायश कार्य की त्रृटि है । आवेदकगण के अनुसार उनकी भूमि में से 20 विसवा रकबा कम हुआ है एंव यह रकबा अनावेदकगण की भूमि में जा मिला है, जिसे दुरूस्त कराने का निवेदन बंदोवस्त अधिकारी से किया गया है। बंदोवस्त अधिकारी अधिकारी भिण्ड ने स्थल अनुसार जांच प्रतिवेदन सहायक बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड से मांगा है । सहायक बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड ने खेतों पर जाकर पुराने नक्शा एंव नया नक्शा मिलान कर खेतों की नप्ती कराई है। सहायक बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड ने जांच उपरांत निम्नानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है -

**** आवेदक व्दारा साविक नंबर 376, 377, 378, 380, 384, 386, 379 जिनके नवीन साविक नंबर 349, 364, 366, 367 हुये हैं पटवारी अभिलेख के अनुसार उक्त नंबरान का रकबा 1.23 हैक्टर है बंदोवस्त में 1.02 हैक्टर कर दिया है जो साविक के मान से 0.21 कम दिया है। अनावेदक को सर्वे कमांक 348 में रकबा साविक के मान से 0.20 अधिक दिया गया है तद्नुसार नक्शे में बरारी करने पर नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया है उसके अनुसार 348 नं0 का 0.15 आरे कम कर 349 का 0.15 बढ़ाया जा सकता है तथा 0.05 की वृद्धि हाल नंबर 349 में दर्शाए गए सॅशोधन के अनुसार की जाने पर आवेदक के 0.20 आरे की पूर्ति हो सकेगी।****

और ऐसा ही जांच प्रतिवेदन सहायक अधीक्षक भू अभिलेख भिण्ड ने दिनांक 2.2.1999 को प्रस्तुत किया है, दोनों ही जांच प्रतिवेदन मौके की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करते हैं और यह जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के प्रकरण में पृष्ठ कमांक 21 एंव 23 पर संलग्न है, जब कलेक्टर जिला भिण्ड ने प्रकरण कमांक 5/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 10.12.2001 से अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः कार्यवाही हेतु वापिस किया , वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने पुनः जांच एंव सुनवाई की है तथा मौके की जांच पुनः राजस्व

निरीक्षक ने कराई है, राजस्व निरीक्षक का मौके का जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में पृष्ठ- 40, 50 पर संलग्न है यह जांच प्रतिवेदन वही स्थिति दर्शाता है जो सहायक बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड एंव सहायक अधीक्षक भू अभिलेख भिण्ड के जांच प्रतिवेदन में है। अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने दोनों पक्षों की बहस श्रवण कर आदेश दिनांक 22.2.2003 पारित किया है तथा इस प्रकार निर्णय लिया है :-

**** नक्शे में प्रस्ताव अनुसार सुधार सर्वे नं. 348, 349 के बीच मेढ़ दुरूस्त की जावेगी तथा अभिलेख में सर्वे नं. 348 का रकबा 0.80 है. तथा 349 का रकबा 1.02 है. दर्ज कागजात किया जाये तथा अक्श में लालस्याही से दर्शाया गया सॅशोधन ए से बी और सी से डी किया जावे इससे सर्वे नं. 348 की मेढ़ सही हो जावेगी।**

तद्नुसार अभिलेख में अमल कराने का निर्णय लिया गया। विचार योग्य बिन्दु यह है कि जब एक वार प्रकरण कलेक्टर भिण्ड व्दारा आदेश दिनांक 10.12.2001 से पुनः जांच करने एंव उभय पक्ष की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित कर दिया एंव आदेश के पालन में मौके की पुनः जांच होकर पुनः जांच में भी वही स्थिति पाई गई, जो सहायक बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड एंव सहायक अधीक्षक भू अभिलेख भिण्ड के जांच प्रतिवेदन में थी एंव अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने उभय पक्ष को पुनः सुनवाई का पूरा-पूरा अवसर प्रदान किया है, तब ऐसी स्थिति में कौनसी कमवेशी रह गई अथवा जांच में अहम तथ्य रह गया, जिसके कारण अपर कलेक्टर भिण्ड ने आदेश दिनांक 16.9.03 से पुनः जांच कराने का निर्णय लिया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने प्रकरण में पूर्ण जांच कर मौके की स्थिति अनुसार अमल कार्यवाही का आदेश दिनांक 22.2.2003 से निर्णय लिया है जिसमें किसी प्रकार की कमी नजर नहीं आती है, अपितु अपर कलेक्टर भिण्ड ने जानबूझकर पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी बढ़ाने का

प्रयास करना पाया गया है और इस तथ्य पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग ने भी गौर न करने की त्रृटि की है क्योंकि विचाराधीन मामला बंदोवस्त के दौरान हुई अभिलेख त्रृटि दुरूस्त करने से संबंधित है।

1. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 31 - न्यायालय या उसके आफिस की भूल का परिणाम - पक्षकारों को नहीं भुगताया जा सकता।**
2. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 89 - बंदोवस्त की प्रवधि के दौरान किसी सर्वेक्षण या सॅख्यांक या खाते के क्षेत्रफल या निर्धारण में की किसी ऐसी गलती को, जो सर्वेक्षण में हुई भूल या गणना करने में हुई भूल के कारण हुई हो, राजस्व सर्वेक्षण बंद होने के वाद उप-खंडीय अधिकारी ठीक कर सकेगा।**

विचाराधीन प्रकरण इसी आशय का है एंव प्रकरण में दो-दो वार जांच होने पर भी बंदोवस्त के समय आवेदकगण का रकबा कम पाये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 97 सी-129/ 1999-2000 में पारित आदेश दिनांक 22.2.03 से दुरूस्त किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है जिसके कारण अपर कलेक्टर भिण्ड व्दारा अपील क्रमांक 12/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 16.9.2003 तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 04/2003-04 अपील में पारित आदेश दि. 28.01.2005 त्रृटिपूर्ण होना पाये गये हैं जो पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी बढ़ाने के अतिरिक्त न्याय की मॅशा के अनुरूप नहीं है।

5/ जहां तक आवेदक के अभिभाषक व्दारा दिये गये इस तर्क का प्रश्न है कि अनावेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिला है इसलिये अपर कलेक्टर एंव अपर आयुक्त के आदेश ठीक हैं ? अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में आये तथ्यों अनुसार दो वार मौके पर नवीन नक्शा एंव पुराने के नक्शे के मान से सहायक बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख भिण्ड एंव

राजस्व निरीक्षक ने जांच एंव नप्ती की कार्यवाही की है अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष मामले में उभय पक्ष की दो-दो वार सुनवाई हुई है, तब यह नहीं माना जा सकता कि अनावेदकगण को सुनवाई का एंव बचाव प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला है, और इन्हीं कारणों से अनावेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर भिण्ड व्दारा अपील क्रमांक 12/2002-03 में पारित आदेश दि0 16.9.2003 तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 04/2003-04 अपील में पारित आदेश दि. 28.01.2005 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं । परिणामतः अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड व्दारा प्रकरण क्रमांक 97 सी-129/ 1999-2000 में पारित आदेश दिनांक 22.2.03 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर